

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2015/आश्विन 9, 1937

No. 253]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2015/ASVINA 9, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2015

(मध्यावधि समीक्षा जाँच)

विषय : तुर्की और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जांच (एमटीआर) की शुरूआत

फा. संख्या 15/17/2015-डीजीएडी.—यतः वर्ष 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 10 फरवरी, 2012 की अधिसूचना सं. 14/3/2011-डीजीएडी के द्वारा तुर्की और रूस (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश (जिसे आगे डाइसोडियम कार्बोनेट या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत की थी और दिनांक 9 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 14/3/2011-डीजीएडी के द्वारा अंतिम जाँच परिणाम जारी किए जिनमें निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2013 की

अधिसूचना सं. 08/2013-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया था।

क. मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करने के लिए अनुरोध

2. संबद्ध वस्तु के आयातकों/प्रयोक्ताओं के एक प्रतिनिधि निकाय दि आल इंडिया ग्लास मेन्युफेक्चरर्स फेडरेशन (एआईजीएमएफ) ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्कों की समीक्षा की शुरुआत करने का अनुरोध करने वाला एक आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह दावा किया है कि मूल जाँच की जाँच अवधि के दौरान विद्यमान परिस्थितियों में काफी बदलाव आ गया है जिससे ऐसी स्थिति हो गई है जिसमें मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं है।

ख. समीक्षा के लिए आधार

3. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तु की आयात कीमत में भारी वृद्धि हो गई है, यह कि घरेलू बिक्री कीमत में भी भारी वृद्धि हुई है, यह कि प्रमुख कच्ची सामग्रियों की लागू में भी वृद्धि हुई है, पंतु वह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की कीमतों में वृद्धि के अनुपात में नहीं है। आवेदक ने यह भी बताया है कि आयात कीमतों में भारी वृद्धि के साथ आयातों के पहुंच मूल्य में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से क्षति मार्जिन में कमी आई है और इसके परिणामस्वरूप शुल्क के वर्तमान स्तर की समीक्षा करने की जरूरत उत्पन्न हुई।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. विचाराधीन उत्पाद डाइसोडियम कार्बोनेट है जिसे आम तौर पर सोडा एश के रूप में जाना जाता है जिसका रासायनिक सूत्र एनए2सीओ3 है। सोडा एश एक सफेद, क्रिस्टलीय, जल में विलेय पदार्थ है। सोडा एश दो रूपों – लाइट सोडा एश और डेंस सोडा एश में उत्पादित किया जाता है। दो किस्मों में अंतर बल्क घनत्व का है। इसके अलावा, सोडा एश या तो प्राकृतिक सोडा एश या कृत्रिम सोडा एश हो सकता है। दोनों उत्पाद अनिवार्यतः समान हैं। तथापि, वर्तमान याचिका में सोडा एश के सभी प्रकार और रूप शामिल हैं।

5. सोडा एश को सिंथेटिक पद्धति और प्राकृति पद्धति से उत्पादित किया जा सकता है। प्राकृतिक सोडा एश के मामले में बड़े पैमाने पर सोडियम कार्बोनेट के प्राकृतिक भंडारों वाली जगह पर विलायन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। सिंथेटिक सोडा एश के मामले में भारत के मामले की तरह जहां प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध न हो विभिन्न प्रकार की सिंथेटिक प्रक्रिया अपनाई जाती है।

6. भारत में सोल्वे प्रक्रिया या संशोधन जिन्हें आम तौर पर डुअल प्रक्रिया और एकजो ड्राईलाइम प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, का प्रयोग सोडा एश के विनिर्माण में किया जाता है। सोडा एश के उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रमुख कच्ची सामग्री नमक और चूना पत्थर हैं। सोल्वे प्रक्रिया में कठोर जल में कूड सोल्डर नमक को घोलकर तैयार की गई कच्ची ब्राइन को चूने के दूध और सोडा एश के प्रयोग से शुद्ध किया जाता है ताकि परिशुद्ध ब्राइन तैयार की जा सके जिसे उसके बाद अमोनियेट ब्राइन तैयार करने के लिए अमोनिया अवशोषक में अमोनियेट किया जाता है। अमोनियेटेड ब्राइन को सोडियम बाईकार्बोनेट तलछट में बैठाने के लिए कार्बोनेट किया जाता है, जिसे उसके बाद कच्चा बाईकार्बोनेट केक अलग करने के लिए छाना जाता है जिसे बाद में लाइट सोडा एश में डिक्म्पोज करने के लिए गर्म किया जाता है। एकजो ड्राईलाइम प्रक्रिया पारम्परिक सोल्वे प्रक्रिया का उस सीमा तक संशोधन है कि चूने के घोल का दूध तैयार नहीं किया जाता और चूने का पानी में तापन और

रासायनिक प्रतिक्रिया मूल द्रव को उबालने के लिए पर्याप्त होता है, इस प्रकार सोल्वे प्रक्रिया की तुलना में डिस्टिलेशन प्रक्रिया में भाप और चूने की खपत में कमी आती है। डुअल प्रक्रिया में अमोनिया रिकवरी इकाई और चूने के दूध को हटा दिया जाता है और एक अमोनिया क्लोराइड सेक्शन होता है जहां अमोनियम क्लोराइड को क्रिस्टलीकृत और रिकवर किया जाता है।

7. सोडा एश डिटर्जेंट, साबुनों, क्लीनिंग कंपाउंड, सोडियम आधारित रसायनों, फ्लोट ग्लास, कंटेनर और विशेष ग्लासों, सिलिकेट और अन्य औद्योगिक रसायनों के विनिर्माण में अनिवार्य अवयव है। इसका प्रयोग वस्त्र, कागज, धातु निष्कर्षण उद्योगों और डिसेलीनेशन संयंत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है।

8. सोडा एश एक अकार्बनिक रसायन है। इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं. 283620 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच पर बाध्यकारी नहीं है।

घ. शामिल देश

9. वर्तमान जाँच में शामिल देश तुर्की और रूस हैं।

इ. जाँच की शुरुआत

10. 1 मार्च, 2011 को सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 15/2011 द्वारा यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 का उप नियम (1) और (1क) निम्नानुसार पठित है:

'(1) अधिनियम की धारा 9 के उपबंध के अंतर्गत लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क क्षति पहुंचाने वाले पाटन की प्रतिपूर्ति करने की समयावधि तक और उसकी आवश्यक सीमा तक लागू रहेगा।

(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां आवश्यक हो, वहां स्वयं की पहल पर या किसी हितबद्ध पक्षकार जो ऐसी समीक्षा की जरूरत को सही साबित करने के लिए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है के अनुरोध पर और जब निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने से एक तर्कसंगत अवधि बीत गई हो, किसी पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षा के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी केन्द्र सरकार से तब उसे हटाने की सिफारिश करेंगे जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि उक्त पाटनरोधी शुल्क को हटाया या उसमें अंतर किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए इसकी अब आवश्यकता नहीं है।

11. पूर्वोक्त नियमों के अनुसार, प्राधिकारी के लिए समय-समय पर स्वयं की पहल पर या किसी हितबद्ध पक्षकार जो ऐसी समीक्षा की जरूरत को सही साबित करने के लिए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है के अनुरोध पर किसी पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करना अपेक्षित है और यदि वह इस बात से संतुष्ट होते हैं कि ऐसे शुल्क को लागू रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार से उसे हटाने की सिफारिश कर सकते हैं।

12. प्राधिकारी के समक्ष पूर्वोक्त आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करना उचित मानते हैं।

च. प्रक्रिया

13. आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना जो लागू उपाय की समीक्षा को आवश्यक बनाने के लिए परिवर्तित परिस्थितियां दर्शाती है, को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अब यह मानते हैं कि भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड 1 में प्रकाशित दिनांक 9 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 14/3/2011-डीजीएडी के द्वारा अधिसूचित अंतिम जाँच परिणाम और केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. 08/2013-सीमाशुल्क (एडीडी)

द्वारा लगाये गये निश्चयात्मक शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करना उचित है और प्राधिकारी एतद्वारा संबंधित नियमावली के नियम 23 के साथ सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9(क) के उपबंधों के अनुसार जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि पाटनरोधीशुल्क को लागू रखने की जरूरत की समीक्षा की जा सके। इस समीक्षा में दिनांक 9 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 14/3/2011-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे।

छ. जांच अवधि

14. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक की है। तथापि क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2011- 2012, 2012-2013, 2013-2014 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

15. संबद्ध देशों/क्षेत्रों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों/उच्चायोगों के जरिए उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग ,
5, संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001**

16. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

झ. समय-सीमा

17. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी संबंधित नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

ञ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध के किसी भाग के संबंध में" गोपनीयता "का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक , सूची , पृष्ठ संख्या आदि); और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि)। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय " अंकित होना चाहिए।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय अंश की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय अंश की पाँच (5) प्रतियां प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना: के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है/ ऐसी सूचना का सारांशीकृत क्यों नहीं किया जा सकता है।
21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ठ. असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st October, 2015

(Mid Term Review Investigation)**Subject: Initiation of Mid Term Review (MTR) of the anti-dumping duties imposed on the imports of Soda Ash, originating in or exported from Turkey and Russia.**

F. No. 15/17/2015-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) had initiated an anti-dumping investigation on the imports of the Soda Ash (hereinafter also referred to as Disodium Carbonate or the subject goods), originating in or exported from Turkey and Russia (hereinafter also referred to as the subject countries) vide Notification No.14/3/2011-DGAD dated 10th February 2012 and issued its final findings vide Notification No.14/3/2011-DGAD dated 9th February 2013 recommending imposition of definitive anti-dumping duties. The definitive duties were imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, by the Central Government, vide Notification No. 08/2013 – Customs (ADD) dated 18th April 2013.

A. Request for initiation of Mid Term Review

2. The All India Glass Manufacturers' Federation (AIGMF), a representative body of importers/users of the subject goods, has submitted an application requesting for initiation of a review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods from the subject countries in accordance with section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. They have claimed that the circumstances that were prevalent during the period of investigation of the original investigation have changed significantly leading to a situation where the existing anti-dumping duties are no longer warranted.

B. Grounds for review

3. The Applicant has submitted that the import prices of the subject goods have increased significantly; that domestic selling prices have also increased significantly; that the cost of major raw materials have also increased, but not in proportion to the increase in the prices of the imports of the subject goods from the subject countries. The applicant has further submitted that coupled with a significant increase in import prices leading to an increase in the landed value of imports, the injury margin has come down and as a consequence, a need for reviewing the current level of duties has arisen.

C. Product under consideration and Like Article

4. The product under consideration is Disodium Carbonate, popularly known as Soda Ash, having chemical formula Na_2CO_3 . Soda Ash is a white, crystalline, water soluble material. Soda Ash is produced in two forms - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is bulk density. Further, soda ash can be either natural soda ash or synthetic soda ash. Both products are essentially the same. However, the present petition includes all types and form of Soda Ash.

5. Soda Ash can be produced through synthetic route and natural route. In case of natural soda ash, dissolution process is employed where natural deposits of Sodium Carbonate occur in a large scale. In case of synthetic soda ash, various types of synthetic process are employed where the natural resources are not available, as is the case in India.

6. In India, Solvay process or modifications commonly known as Dual Process and Akzo Dry Lime Process, is used to manufacture Soda Ash. Salt and limestone are the major raw materials required for producing soda ash. In Solvay process, the raw brine prepared by dissolving crude solar salt in raw water is purified by use of milk of lime and soda ash to prepare purified brine which is then ammoniated in ammonia absorber to prepare ammoniated brine. Ammoniated brine is carbonated to precipitate sodium bi-carbonate, which is then filtered to separate crude bi-carbonate cake, which is further heated to decompose into light soda ash. Akzo dry lime process is a modification of the conventional Solvay process to the extent that milk of lime slurry is not prepared and the heat of hydration of lime and of chemical reaction are sufficient to raise the mother liquor to the boiling temperature, thereby, reducing the steam and lime consumption in distillation process as compared to Solvay process. In the dual process, the ammonia recovery unit and milk of lime section are dispensed with and an ammonium chloride section exists where the ammonium chloride is crystallized and recovered.

7. Soda Ash is an essential ingredient in the manufacture of detergents, soaps, cleaning compounds, sodium based chemicals, float glass, container and specialty glasses, silicates and other industrial chemicals. It is also widely used in textiles, paper, metallurgical industries and desalination plants.

8. Soda Ash is an inorganic chemical. It is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975, falling under the customs sub-heading No. 283620 Customs classification is, however, illustrative only and not binding on the present investigation.

D. Countries involved

9. The countries involved in the present investigation are Turkey and Russia.

E. Initiation

10. Sub Rule (1) and (1A) of Rule 23 of the Anti-dumping Rules, as amended vide Customs Notification No. 15/2011 dated 1st March 2011, reads as follows:

“(1) Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.

(1A) The designated authority shall review the need for the continued imposition of any antidumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted.

11. In terms of the aforesaid rules, the Authority is required to review from time to time, the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review and if it is satisfied that there is no justification for continued imposition of such duty, the Authority may recommend to the Central Government for its withdrawal.

12. On the basis of information made available by the aforementioned applicant before the Authority, the Authority considers it prima facie appropriate to initiate a mid-term review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

F. Procedure

13. Having regard to the information provided by the Applicant indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Authority now considers that it is appropriate to initiate a mid-term review of the final findings notified vide Notification No.14/3/2011-DGAD dated 9th February 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I and the definitive duties imposed by the Central Government vide Notification No. 08/2013 – Customs (ADD) dated 18th April 2013 and the Authority hereby initiates an investigation in accordance with the provisions of Section 9(A) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 of the Rules supra to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties. The review will cover all aspects of Notification No. 14/3/2011-DGAD dated 9th February 2013.

G. Period of Investigation (POI)

14. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April, 2014 to 31st March, 2015. The injury investigation period will, however, cover the periods 2011-12, 2012-13, 2013-14 and the POI.

H. Submission of Information:

15. The exporters in subject countries/regions, their Governments through their Embassies/High Commissions in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner as prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street
New Delhi-110001

16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

I. Time Limit

17. Any information relating to the present review should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

J. Submission of information on confidential basis

18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either “confidential” or “non-confidential” at the top of each page.

19. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

20. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential, version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

K. Inspection of Public File

24. In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

L. NON-COOPERATION

25. In case any interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Designated Authority